बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश।

महाशय,

भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत 5.00 (पाँच) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की सम्भावना व्यक्त किये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए 5.00 (पाँच) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु सम्भावित लक्ष्य का निर्धारण किया गया है । भारत सरकार के स्तर से राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य की सम्भावना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि निर्धारित सम्भावना के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि अधिप्राप्ति वर्ष में गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों / बिचौलियों को गेहूँ अधिप्राप्ति से पृथक रखा जाय तथा राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके । **रब्बी विपणन मौसम 2017–18 में पूर्व वर्षों की भाति गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के लाभूकों को वितरण किया जायेगा ।** राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य के सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या– 4(1)/2016-Py.I दिनांक 24.11.16 द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–10.04.2017 से 31.07.2017 तक** प्रभावी रहेगा।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रब्बी विपणन मौसम 2017–18 में राज्य अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- राज्य के किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रंखड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है।
- राज्य के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घंटों के अन्दर) भुगतान किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की ऑन लाईन संधारित सूची के आधार पर राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जायेगी ।

- राज्य के किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटा बेस पर ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। नोडल एजेंसी द्वारा तैयार अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर किसानों का ऑनलाईन डाटा बेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वय से किसानेां का डाटा बेस तैयार किया जायेगा जिसका स्क्रीनिंग कराकर बेवसाईट पर अपलोड होगा। छूटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कराकर Authenticate करेंगे। सहकारिता विभाग इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगी एवं राज्य खाद्य निगम आवश्यक तकनीकी सहयोग करेगी।
- राज्य के किसानों से गेहूँ का क्रय प्रति किसान अधिकतम 150 (एक सौ पचास) क्वीं0 प्रति किसान निर्धारित रहेगा, ताकि लघु/सीमांत किसानेां को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात् उनसे अधिकतम 50 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी ।
- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा एवं एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराया जायेगा । साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति ऑन लाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलबध करायी जाएगी ।
- नोडल ऐजन्सी के रूप में राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ क्रय एंव भुगतान का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक–10.04.2017 के पूर्व कर ली जाय।

3. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति की सम्भावना **5.00(पाँच) लाख मे0टन** व्यक्त की गयी है, जिसका शत–प्रतिशत अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाना है।

सम्यक् विचारोपरान्त रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित अधिप्राप्ति की सम्भावित मात्रा इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे यह अपेक्षा है कि इस सम्भावित लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है।

4. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u>

रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा किया जायेगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों की है। सहकारित विभाग /सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि जिलों में स्थापित किये जानेवाले सभी कय केन्द्रों पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।

- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संघारण ।**
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु **गेहूँ की खेती करने वाले किसानों का नामांकन।**
- किसानों को **RTGS/NEFT** के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक–10.04.2017 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. <u>भंडारण की व्यवस्था</u>

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैम्प भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित सभी जिला पदाधिकारी जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य भंडार निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा। बिहार राज्य खाद्य निगम कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक–10.04.2017 के पूर्व चिन्हित भंडारण स्थल/गोदाम पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंम्प कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

6. <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी पंजीकृत किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) के समतुल्य राशि का ऑन–लाईन RTGS/NEFT के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर भुगतान किया जायेगा । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कय किये गये गेहूँ का ऑन लाईन भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से पंजीकृत किसानों को क्रय के तुरन्त बाद (48 घंटों के अन्दर) किया जाना हैं इसलिए किसी भी स्थिति में राज्य के किसानों का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय तथा भुगतान की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जायेगा।

- क्रय केन्द्रों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के आधार पर क्रय केन्द्रों से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जांच कर 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित करते हुए पैक्सों / व्यापार मंडलों के खाते में सीधे **RTGS/NEFT** के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. <u>रब्बी विपणन मौसम 2017–18 हेतु प्रशासनिक प्रबंधन</u>

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवर्नेंस की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया–गेहूँ क्रय, भुगतान आदि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी।
- अधिप्राप्ति के सभी क्रय केन्द्र Digitized होगें एवं Procurement Software पर ऑन–लाईन कार्य होंगे। किसान एवं पैक्स/व्यापार मंडल का डाटा बेस तैयार होगा। डाटाबेस से कागजातों को जमा करने की जटिलता से किसानों को राहत मिलेगी एवं बिचौलियों पर अंकुश लगेगा।
- वर्ष 2017–18 के अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार के प्रस्तावित MOU शर्त के अनुसार अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान क्रय किये गये गेहूँ एवं उस परिपेक्ष्य में भुगतान आदि का Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य के Digitization से अधिप्राप्ति ऑकड़ों की विश्वसनियता एवं शुद्धता के अतिरिक्त समय–समय पर प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार के स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन का प्रेषण सुनिश्चित हो सकेगा।

8. <u>जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था</u>

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

9. <u>पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र पर **Enforcement Officer** की प्रतिनियुक्ति</u>

- पंचायत/प्रखंड स्तर पर कय केन्द्रों में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के अनुमंडल स्तर पर स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

10. <u>पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था</u>

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहें कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुँचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

11. <u>गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात</u>

- <u>भूमि सम्बन्धी दस्तावेज</u> – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड– इनमें से कोई एक आवश्यक है । राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी के रोकने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा। यह

भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा, साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी । किसानों द्वारा सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है । ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

- **<u>किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र</u> – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की फोटो प्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।**
- **<u>अगर किसान दुसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो तो ऑन–लाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत् होगें–</u>** (1) अपना फोटो (2) पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) (3) बैंक पासबुक (4) धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकवा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व–घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास सें संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहाकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी) ।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित कराना ।
- **समी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना। जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते है वैसे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोग्राफ पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त कर वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र का किसान सलाहकार से सत्यापन के उपरान्त ऑन–लाईन रजिस्ट्रेशन कराना है।**
- **रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा (Moisture) 12 से 14 प्रतिशत, Foreign Matter - 0.75%, Damaged grains-2%, Slightly damaged grains-4%, Shrivelled & Broken grains-6% and Other foodgrains-2% हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।**

12. <u>अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका</u>

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- कय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को गेहूँ संग्रहण केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

13. <u>अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका</u>

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

14. <u>अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका</u>

- पैक्स/व्यापार मंडल से गेहूँ प्राप्त करने हेतु अनुमंडल स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप गेहूँ संग्रहण केन्द्र खोलना ।
- प्रतिदिन गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर कय किये गये गेहूँ से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण करना।
- गन्नी बैग्स की व्यवस्था – पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गन्नी बैग्स की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गन्नी बैग्स उपलब्ध कराना ।

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

15. <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों (अप्रमादी) का चयन करना ।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- अधिप्राप्ति कार्य, गेहूँ के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को मोबाईल एप **(Mobile App)** पर अधिप्राप्ति गेहूँ से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे जिले जहॉ सहकारी बैंक नही हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

16. <u>अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका</u>

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करें ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

17. <u>जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका</u>

- प्रत्येक माह में दो दिन अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

18. <u>प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका</u>

- प्रत्येक सप्ताह प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

19. <u>जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ</u>

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगें ।

20. <u>अवकाश पर प्रतिबंध</u>

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेंगा ।

चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात् बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामनां नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

21. <u>अन्यान्य</u>

इसके पूर्व में पारित सभी आदेशों पर इस आदेश की अधिमान्यता दी जायेगी।

अनु0--यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि:– सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि:– सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1681 खाद्य, पटना/दिनांक – 31-03-17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

31/3/17

सरकार के सचिव।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

रब्बी विपणन वर्ष 2017–18 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार निर्धारित लक्ष्य

(मात्रा–मे0टन में)

क0 सं0	जिला का नाम	जिलावार लक्ष्य	पैक्स / व्यापारमंडल जिलावार लक्ष्य	अभियुक्ति
1	अररिया	7500	7500	
2	अरवल	1500	1500	
3	औरंगाबाद	25000	25000	
4	बाँका	5000	5000	
5	बेगूसराय	25000	25000	
6	भागलपुर	12000	12000	
7	भोजपुर	27500	27500	
8	बक्सर	20000	20000	
9	दरभंगा	10000	10000	
10	गया	12500	12500	
11	गोपालगंज	12500	12500	
12	जमुई	3500	3500	
13	जहानाबाद	5000	5000	
14	कैमूर	30000	30000	
15	कटिहार	5000	5000	
16	खगड़िया	12000	12000	
17	किशनगंज	4000	4000	
18	लखीसराय	1500	1500	
19	मधेपुरा	10000	10000	
20	मधुबनी	13000	13000	
21	मुंगेर	5000	5000	
22	मुजफ्फरपुर	15000	15000	
23	नालंदा	20000	20000	
24	नवादा	7000	7000	
25	पं0 चम्पारण	20000	20000	
26	पटना	25000	25000	
27	पूर्वी चम्पारण	20000	20000	
28	पूर्णियाँ	10000	10000	
29	रोहतास	32500	32500	
30	सहरसा	12000	12000	
31	समस्तीपुर	25000	25000	
32	सारण	15000	15000	
33	शेखपुरा	1500	1500	
34	शिवहर	5000	5000	
35	सीतामढ़ी	12500	12500	
36	सीवान	10000	10000	
37	सुपौल	5000	5000	
38	वैशाली	17000	17000	
	कुल	500000	500000	